

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय, जयपुर-302001

फोन नं. 0141-2374644

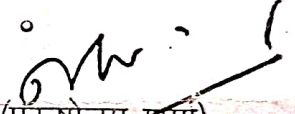
क्रमांक:एफ3/मुख्या/याता./सां/बस सारथी/25/ 322

दिनांक:- 09/05/2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ4/मु0/याता0/लेखा/23/2248 दिनांक 12.04.2023 द्वारा आदेश जारी कर, 01 मई, 2023 से बस सारथी योजना प्रभावी की गयी थी, इसके बिन्दु संख्या 6.f. लक्ष्य निर्धारण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ3/मु0/याता0/सांख्यिकी/बस सारथी/2024/684 दिनांक 07.06.2024 द्वारा संशोधन किया गया था। उक्त आदेशों में पुनः संशोधन कर बस सारथी योजना, 2023 के बिन्दु संख्या 6.f. लक्ष्य निर्धारण के उप बिन्दु संख्या V में बस सारथी से किया जाना वाला अनुबंध किसी भी शिडयूल पर न्यूनतम .35/-रूपये आय प्रति कि०मी० से कम नहीं होगा, जिसमें किसी भी श्रेणी में यात्रियों को दी जा रही निःशुल्क यात्रा का वित्तीय भार सामिल नहीं होगा। बस सारथी योजना, 2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यह आदेश 01 जून, 2025 से लागू होगा।


(पुरुषोत्तम शर्मा)

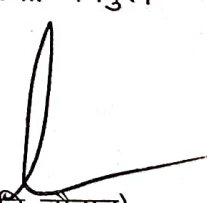
प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 09/05/2025

क्रमांक:एफ3/मुख्या/याता./सां/बस सारथी/25/ 322
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष महोदय/प्रबन्ध निदेशक महोदय, राज.परि. निगम, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. उप महा प्रबन्धक (बजट/अंकेक्षण/आईटी0), राज. परिवहन निगम, मुख्या. जयपुर।
4. जोनल मैनेजर, जोन, राजस्थान परिवहन निगम।
5. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन), रा.प.नि., आगार।
6. रक्षित पत्रावली।

I.T.-1 643
16/05/25


(डॉ० ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)